राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक पः 9(6)राज-6/2000/1 जयपुर, दिनांकः- 10-1-13

समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।

समस्त जिला कलेक्टर, राज0।

-:परिपत्रः-

इस विभाग के परिपत्र क0 9(6)राज-6/2000/2 दिनांक 30.1.2006 के द्वारा अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दिनांक 1.1.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिकमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसंख्यक परिपत्र कमांक प. 9(6)राज-6/2000/1 दिनांक 11.1.2008 जारी कर दिनांक 1.1.95 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 1.1.2000 किया गया था। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1.1.2000 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 1.1.2005 कर दिया जाये।

1.निम्न प्रकार की/सीमाओं में स्थित भूमियां नियमन योग्य नहीं हैः-

(i) जयपुर नगर निगम की सीमाओं की 10 मील,

(ii) राज0 नगरपालिका अधिनियम, 1959 के यथापरिभाषित किसी अन्य शहर की छः मील

(iii) किसी अन्य नगरपालिका के तीन मील,

(iv) ऐसे किसी क्षेत्र के दस मील जिसके लिए राज्य सरकार ने राज0 अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1959 की धारा 3 क अधीन जारी किये गये आदेश द्वारा नगर सर्वेक्षण करने तथा मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।

(v) ऐसे किसी नगर, कस्बे, ग्राम अथवा अन्य क्षेत्र जिसमें एक करोड़ रूपये से अधिक की लागत से कोई उद्योग स्थापित किया गया है या स्थापित करने का प्रस्ताव है या ऐसे क्षेत्र जो इस अभिप्राय के लिये सरकार द्वारा नियत किया जाय, पांच मील,

(vi) रेल्वे सीमा अथवा राष्ट्रीय राजपथ अथवा राज्य सरकार अथवा पंचायत द्वारा संधारित किसी सडक के 100 गज

(vii) वन विभाग के नाम दर्ज भूमि

(viii) चारागाह, औरण, जोहड़, पायतन, नदी , तालाब के पेटे, श्मशान, कब्रिस्तान व मन्दिरों की भूमियां,

(ix) डी0बी0सिविल रिट पिटिशन नं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 2.8.2004 में वर्णित भूमियां

(x) किसी उद्देश्य हेतु अवाप्तिशुदा भूमियां,

(xi) राजकीय उपकम या राजकीय विभाग की भूमियां

(xii) स्थानीय निकायों की शहरी व पेराफेरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमियां एवं

(xiii) कोई अन्य क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये,

2. यदि किसी कृषि श्रमिक, कारीगर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा बी0पी0एल परिवार के सदस्यों द्वारा 1 जनवरी, 2005 से पूर्व सिवायचक भूमि/गैर मुमकिन भूमि पर स्वंय के उपयोग के लिये रहने हेतु मकान का निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि पर अतिकमण किया हो तो उनके मामलें निःशुल्क नियमन किये जाकर उनका मालिकाना हक दे दिये जायें बशर्ते कि इस तरह बनाये गये मकान एंव बाड़ा का क्षेत्रफल 500 वर्गगज से अधिक न हो एंव वह पैरा 1 में वर्णित सीमाओं के अन्दर स्थित नहीं हो। 500 वर्गगज से ज्यादा भूमि पर नियमन नहीं किया जायेगा बल्कि अतिकमण को हटया जावेगा।

3. उपर वर्णित पैरा 2 के अतिरिक्त शेष व्यक्तियों के मामलें भी यदि उन्होनें भी इसी प्रकार सिवायचक भूमि/गैर मुमकिन भूमि पर 1 जनवरी, 2005 से पूर्व मकान या बाड़ा बनाकर अतिकमण कर लिया हो तो उनसे भी 1 रूपये प्रतिवर्ग गज प्रीमियम लिया जाकर 500 वर्गगज के क्षेत्र तक मामलों का नियमन किया जाकर मालिकाना हक दे दिये जायें बशर्ते कि भूमि पैरा 1 में वर्णित सीमाओं के अन्दर स्थित नहीं हों। 500 वर्गगज से ज्यादा भूमि पर नियमन नहीं किया जायेगा बल्कि अतिकमण को हटाया जावेगा।

4. उक्त वर्णित सभी मामलों में तहसीलदार द्वारा 5 रू. लिये जाकर सनद जारी की जायेगी।

5. निर्धारित शुल्क या प्रीमियम की वसूली हो जाने पर नियमन हेतु आदेश को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात सनद तहसील द्वारा संबंधित व्यक्ति को जारी कर दी जायें।

ऐसे अतिकमणों के संबंध में जो कि उपर वर्णित निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हों या इस परिपत्र के अर्न्तगत नहीं आते हों तो विद्यमान विधि के अर्न्तगत कार्यवाही की जानी चाहिए और अधिक क्षेत्र से बेदखल किये जाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस परिपत्र के समस्त बिन्दुओं से आप तुरन्त अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को अवगत करा दें। सभी राजस्व अधिकारीगण मुख्यतः तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिये जाये कि इस परिपत्र के अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जाये।

आज्ञा से,

डॉ0 (श्रीमती) गालोविका पवार)

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व